(85)

(86)

नि/निग०/रीवा/2018/0558

# न्यायालय श्रीमान पीठासीन अधिकारी राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा (म0प्र0)

भैरव तनय रामभरोसे केवट निवासी ग्राम सहिजना तहसील मझौली जिला सीधी म0प्र0। ..........................अपीलाण्ट

**बनाम**

सिपाहीलाल केवट तनय बुद्धसेन केवट निवासी ग्राम सहिजना तहसील मझौली जिला सीधी म0प्र0। ............................रेस्पाडेण्ट

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान आयुक्त संभाग रीवा के पृ.क्र. 1336/अपील/2011-11 मे पारित आदेश दिनांक 29/12/2017

कलर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

**मान्यवर,**

**निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-**

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि व प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परीक्षण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किये बगैर व्याख्या के सिद्धान्तो पर ध्यान केन्द्रित किये बगैर प्रश्नाधीन अवैधानिक आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यहॉ क खसरा पंचशाला 2002-03 से 2006-07 मे अपीलाण्ट का सहखातेदार के रूप मे भूमिस्वामी दर्ज होना तथा हल्का पटवारी द्वारा मौके पर जाकर पंचनामा बनाकर परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अविवादित है साथ ही यह भी अविवादित है कि आवेदक वादग्रस्त भूमियो का सह भूमिस्वामी है। जब आवेदक वादग्रस्त भूमियो का सहभूमिस्वामी है

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
(36)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

क्रमांक II/निग०/18/0558 जिला– सीधी

भैरव केवट विरुद्ध सिपाही केवट

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 18-12-18 | 1. आवेदक की ओर से श्री शेष सिंह सोलंकी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिश्नर/~~अपर कमिश्नर~~, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 1336/अपील/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 29.12.17 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 22-01-2018 प्रस्तुत की गयी है।<br>2. म०प्र० भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।<br>3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो।<br>सदस्य | |